परेशानी ओवरब्रिज टूटने के बाद बढ़ी राहगीरों और किसानों की परेशानी

शहपुरा टोल नाके पर फिर शुरू हुई वसूली

नवभारत, जबलपुर। ओवरब्रिज टूटने के बाद कुछ दिनों तक बंद रखा गया शाहपुरा टोल नाका अब फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल गिरने के बाद प्रबंधन द्वारा कुछ दिनों तक वाहनों से टोल वसूली पूरी तरह बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा टोल वसूला जा रहा है। इससे पहले से ही परेशान राहगीरों और किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

10 किमी का चक्कर लगाकर करना पड़ रहा आवागमन

जानकारी के अनुसार ओवरब्रिज टूटने के बाद क्षेत्र का यातायात प्रभावित हो गया है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। इसके बावजूद टोल नाके पर वाहनों से शुल्क लिया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

किराए के वाहनों से मटर मंडी ले जा रहे किसान

कई किसानों ने बताया कि इन दिनों बची हुई मटर की फसल मंडियों में पहुंच रही है। कई किसान अपनी उपज को किराए के छोटे वाहनों से मंडी तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर-ट्रॉली को टोल से छूट दी गई है, लेकिन किराए के वाहनों से मटर लेकर आने वाले किसानों को टोल देना पड़ रहा है, जिससे उनका खर्च बढ़ गया है।

ये है मामला

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले शहपुरा बाईपास पर अमन ढाबा के सामने बने ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया था। इस घटना के बाद जबलपुर-भोपाल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया था और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। बताया जा रहा है कि पुल का दूसरा हिस्सा पहले से ही क्षतिग्रस्त था और उस पर मरम्मत कार्य चल रहा था।

रेलवे फाटक पर घंटों लग रहा जाम

एक ओर ओवरब्रिज टूटना और दूसरी ओर रेलवे फाटक के बार-बार बंद होने से किसानों और राहगीरों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार लोगों को एक-एक घंटे तक फाटक पर खड़ा रहना पड़ता है। किसानों का कहना है कि टोल की पर्ची के लिए करीब 260 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं और फाटक पर लंबा इंतजार होने से मटर सूखने लगता है तथा मंडी भी देर से पहुंचते हैं।

इनका कहना है

टोल नाके पर आधिकारिक रूप से शुल्क ना लेने का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था, घटना के समय मैनेजर द्वारा उस समय बंद कर दिया गया था। जिसे बीच-बीच में उनके द्वारा ही फिर चालू कर दिया जाता है। टोल बंद करने का कोई भी अधिकारिक नोटिस अभी नहीं मिला है।

मदन सिंह रघुवंशी
एसडीएम शहपुरा

सड़क दुर्घटना में प्रदेश में होती है रोजाना 41 व्यक्तियों की मौत

जबलपुर। प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं में प्रतिदिन 41 मौत होने का आंकडा प्रस्तुत करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि सडक दुर्घटना सिर्फ चालको की गलती के कारण नही बल्कि खराब सड़क इंजीनियरिंग, जानलेवा गड्ढों, अवैध अतिक्रमण, और बिना उचित ट्रेनिंग के बांटे गए ड्राइविंग लाइसेंस के कारण होती है।

हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनवेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। जबलपुर निवासी आषीष षिवहरे की तरफ से दायर की गयी याचिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए देते हुए कहा गया था कि मध्य प्रदेश में हर दिन लगभग 41 व्यक्ति की मौत होती है। देष में रोजना साढे तीन सौ से अधिक व्यक्तियों की मौत होती है। प्रशासन हर दुर्घटना को सिर्फ चालक की गलती बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। दुर्घटनाएं अक्सर खराब सड़क इंजीनियरिंग, जानलेवा गड्ढों, अवैध अतिक्रमण, और बिना उचित ट्रेनिंग के बांटे गए ड्राइविंग लाइसेंस के कारण होती है।

याचिका में राहत चाही गयी थी कि पुलिस और नगरीय प्रशासन की एकीकृत जवाबदेही तय की जाये। इंजीनियरों और ठेकेदारों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198 का सख्ती से पालन सुनिष्चित किया जाये। खराब सड़क डिजाइन या गड्ढों के कारण किसी की जान जाती है, तो संबंधित इंजीनियरों और ठेकेदारों पर आपराधिक मामला दर्ज हो। खराब सड़कों पर टोल वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये। लाइसेंसिंग सिस्टम में सुधार करते हुए सभी मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए एक डिजिटल री-ट्रेनिंग एप के माध्यम से नियमो की जानकारी दी जाये।

दोपहिया वाहनों में हेलमेट चोरी की समस्या से बचने और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन-बिल्ट हेलमेट लॉकर अनिवार्य किये जाये। ऐसा रोड सेफ्टी ऐप बने जहां आम जनता खतरनाक सड़कों, ब्लैक स्पॉट्स और गड्ढों की फोटो सहित सीधी शिकायत कर सके और उस पर वैज्ञानिक जांच हो। हाईवे पर ढाबों के पास अवैध पार्किंग, शराब की बिक्री और आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए स्थानीय थाना प्रभारी और प्रशासन की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए।युगलपीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए अनावेदक 9 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगलपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरिहंत तिवारी को कोर्ट मित्र नियुक्त करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की है।

गंदगी पाये जाने पर बीके कैसल होटल पर 25 हजार का जुर्माना

नवभारत, जबलपुर। शहर की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने और आम नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के कड़े निर्देशों के बाद अब उन व्यावसायिक संस्थानों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो स्वच्छता नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होटल बी.के. कैसल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटल के बेसमेंट में भारी गंदगी और कचरे का अव्यवस्थित अंबार पाया गया। निगम अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कड़ी कार्रवाई की। स्वच्छता मानदंडों का उल्लंघन करने पर होटल प्रबंधन पर 25,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया। निगम की सख्ती को देखते हुए होटल प्रबंधन ने तत्काल जुर्माना राशि का चेक जमा किया। निगमायुक्त ने कहा कि शहर की सुंदरता और स्वास्थ्य के साथ समझौता करने वाले संस्थानों को बख्शा नहीं जाएगा। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शहर के सभी होटल संचालकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने परिसर के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र को भी स्वच्छ रखें। निगम की इस त्वरित कार्रवाई की शहरवासियों ने सराहना की है, क्योंकि इससे अन्य संस्थानों में भी स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगेगा। इस कारवाई में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन यादव एवं मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अगस्ते आदि उपस्थित रहे।

गोलीकांड के आरोपी ने गवाह को धमकाया

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत सुहागी पुरानी बस्ती में साल 2018 में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी ने गवाह को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस के मुताबिक सौरभ पटेल (28) निवासी सुहागी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजेन्द्र मेहरा उर्फ बड़े मियां ने साल 2018 में उसके बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर गोली चलाई थी, जिसका मामला अधारताल थाने में दर्ज है। अब इस मामले में गवाही रोकने के लिए आरोपी सौरभ को फोन कर धमका रहा है। आरोपी का कहना है कि अगर मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, तो अंजाम बुरा होगा। जैसा तुम्हारे भाई को गोली मारी थी, वैसे ही तुम्हें भी घर में घुसकर जान से मार देंगे। आरोपी लगातार फोन कर उसे धमका रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

1 हजार से अधिक भवनों में लगवाये जायेंगे वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम : निगमायुक्त

जलशुल्क जमा नहीं करने वाले जल उपभोक्ताओं के 10 दिनों में 500 से अधिक कटेगें नल कनेक्शन

नवभारत, जबलपुर। शहर की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने नगर निगम के 7 विभागों क्रमश: जल, संपदा, लोककर्म, उद्यान, भवन, प्रकाश और बाजार विभाग की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब सभी अधिकारी आपसी तालमेल और टीम भावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगें। बैठक में निगमायुक्त ने बताया कि जल संचय अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और गिरते भू-जल स्तर को सुधारने के लिए निगम ने एक बड़ी कार्ययोजना तैयार की है। निगमायुक्त ने 'जल संचय' की दिशा में सार्थक पहल करते हुए भवन शाखा को निर्देश दिए हैं कि शहर के 1000 से अधिक चिन्हित भवनों में प्राथमिकता के आधार पर वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए जाएं। उन्होंने बताया कि इससे भविष्य में जल संकट की समस्या से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी बैठक में अहम निर्णय लिए गए। निगमायुक्त ने टीम को निर्देशित किया है कि शहर के सभी उद्यानों का कायाकल्प कर उन्हें नागरिकों के लिए और बेहतर बनाया जाए। डिवाइडरों, चौराहों और तिराहों को व्यवस्थित कर सुसज्जित किया जाए ताकि यातायात सुगम हो और शहर की सुंदरता बढ़े। निगम की सेवाओं को निरंतर जारी रखने के लिए राजस्व प्रबंधन पर भी कड़ा रुख अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि जलशुल्क जमा न करने वाले बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाकर अगले 10 दिनों में 500 से अधिक नल कनेक्शन काटने की योजना है।

लीज नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करे सख्त कार्रवाई

निगमायुक्त ने उपभोक्ताओं से समय पर भुगतान की अपील की है। संपदा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि खाली प्लॉटों या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लीज नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर लीज निरस्त की जाए। विशेषकर चंडलभाटा, राइट टाउन, नेपियर टाउन, गोलबाजार और मदन महल जैसे क्षेत्रों में निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्वयं भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने और तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। बैठक में सभी विभागीय प्रमुख आदि उपस्थित रहे।

एक नजर में

इंटीरियर कंपनी स्ट्रक्चर मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता कोर्ट का नोटिस

जबलपुर। उपभोक्ता न्यायालय ने इंटीरियर डिजाइन कंपनी स्ट्रक्चर मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके मालिक सिद्धार्थ खरे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता निखिल भट्ट की ओर से अधिवक्ता कार्तिक जग्गी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि संबंधित इंटीरियर कंपनी ने पहले कम दर पर कार्य करने का अनुबंध किया, लेकिन बाद में अपने ही अनुबंध से पलटते हुए उससे इनकार कर दिया। अधिवक्ता के अनुसार कंपनी ने अनुचित व्यापार प्रथा अपनाते हुए याचिकाकर्ता को भ्रमित किया और कार्य को लेकर लगातार टालमटोल करती रही ।बताया गया कि निर्धारित समयावधि में काम पूरा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, कंपनी की ओर से याचिकाकर्ता के फोन कॉल और संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया गया। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि कंपनी द्वारा जो आंशिक कार्य किया गया, वह भी सेवा में कमी (डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस) की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता के तर्कों का संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता न्यायालय ने कंपनी और उसके मालिक को नोटिस जारी कर मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

रिटायर्ड विद्युत कर्मी के घर पर पथराव

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में बीती रात विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग को निशाना बनाकर बदमाश ने पथराव किया। गनीमत रही कि पत्थर सीढ़ी के कांच पर जा लगा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पूरी वारदात घर के बाहर लगे कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक श्यामलाल विश्वकर्मा विद्युत विभाग से रिटायर्ड हैं और संजीवनी नगर में सपरिवार रहते है बीती करीब 12:40 बजे विश्वकर्मा घर की ऊपरी मंजिल के हॉल में थे। जैसे ही वे बाथरूम जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंचे, तभी बाहर खड़े एक अज्ञात युवक ने उन्हें देखते ही जानबूझकर एक बड़ा पत्थर हवा में उछाला। पत्थर सीधे सीढ़ियों पर लगे कांच से टकराया। कांच के परखच्चे उड़ गए। विश्वकर्मा का कहना है कि यदि वहां कांच नहीं होता, तो पत्थर सीधे उनके सिर या चेहरे पर लगता, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। इस हमले में घर के कांच टूटने से करीब 10 हजार रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। पत्थर चलने की आवाज सुनकर पीड़ित के बेटे हेमंत और शैलेंद्र विश्वकर्मा तुरंत बाहर निकले, लेकिन तब तक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुका था। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर एक संदिग्ध लड़का पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहा है, जिसने पहचान छिपाने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। पुलिस प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है ।

स्कूल में 11वीं के छात्र पर हमला

जबलपुर। कैंट थाना अंतर्गत सेंट थॉमस स्कूल में परीक्षा देने गए कक्षा 11वीं के छात्र स्कूल परिसर के भीतर ही कुछ लड़कों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। पुलिस के मुताबिक अधिवक्ता विक्रांत सिंह का पुत्र समर्थ सिंह सेंट थॉमस स्कूल में 11 वीं कक्षा का छात्र है। सुबह करीब 10:35 बजे समर्थ की क्लास टीचर मुक्ता का फोन आया। उन्होंने घबराते हुए बताया कि समर्थ के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की है और वे उसे स्कूल के बाहर भी मारने की फिराक में खड़े हैं, आप तुरंत स्कूल आकर अपने बेटे को ले जाएं। जब विक्रांत सिंह स्कूल पहुँचे, तो क्लास टीचर मुक्ता मैडम छात्र समर्थ को सुरक्षा की दृष्टि से हॉल में बिठाए हुई थीं। समर्थ के चेहरे, गले, सिर और बाएँ कान के पीछे चोट के निशान थे। पूछताछ में समर्थ और शिक्षिका ने बताया कि सुबह करीब 10:15 बजे नवीन, प्रतीक और उनके अन्य साथियों ने समर्थ को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी ।आरोपियों ने केवल मारपीट ही नहीं की, बल्कि स्कूल के गेट पर खड़े होकर समर्थ को धमकाया। उन्होंने समर्थ को डराते हुए कहा कि स्कूल के बाहर निकल, तुझे और मारेंगे और जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से भाग निकले। पुलिस अब स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके।

6 .60 लाख नकद समेत जेवर ले गए चोर

इलाज के लिए नागपुर गया परिवार, घर में हुई चोरी

जबलपुर। माढोताल थाना अंतर्गत ग्रीन सिटी, बाबा बर्फानी नगर में चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 6 लाख 60 हजार रुपये नगद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए। घटना उस वक्त हुई जब गृहस्वामी अपने बीमार ससुर का उपचार कराने के लिए परिवार सहित नागपुर गए हुए थे।

पुलिस के अनुसार बाबा बर्फानी नगर वार्ड नं. 72 निवासी नरेंद्र बैरागी (46) प्रॉपर्टी सेल्स का कार्य करते हैं, वे अपने ससुर ससन लाल डेहरिया का इलाज कराने पत्नी पूजा और सास चंद्रकला के साथ नागपुर गए थे । जब जबलपुर वापिस लौटे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा था। कमरों के भीतर सारा सामान बिखरा पड़ा था और बेडरूम में रखी अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। अलमारी के लॉकर में रखे जेवरात और नगदी गायब थे। चोरों ने सोने के हार 13 ग्राम, दो मंगलसूत्र, 6 ग्राम की चेन, 5 अंगूठियां, 15 ग्राम के सोने के कंगन, चांदी की करधन 500 ग्राम, 250 ग्राम की पायल, , पायल, 6 जोड़ी बिछिया, प्रॉपर्टी के काम के लिए रखे 6 लाख 60 हजार रुपये नगद गायब थे। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आसपास के क्षेत्रों में लगे कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

रांझी में भी सूने घर का टूटा ताला, आभूषण चोरी

रांझी थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती कटनी दफाई में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए अलमारी के लॉकर में रखे सोने-चांदी के कीमती जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कटनी दफाई निवासी श्रीमती माला बिहुनिया (40) की 14 मार्च को अपने पति और बच्चों के साथ ग्राम घाना खमरिया में अपनी ननद के घर आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। घर पर कोई नहीं था। हालांकि पीड़िता का देवर सुधीर बिहुनिया अगले दिन सुबह करीब 6 बजे घर लौट आया था। घटना का खुलासा तब हुआ जब 15 मार्च की शाम करीब 5:30 बजे माला बिहुनिया वापस अपने घर पहुंचीं। उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब वह घबराकर अंदर गईं, तो देखा कि अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था और लॉकर का ताला टूटा हुआ था। चोरों ने अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए।

इधर सिहोरा गया परिवार, घर का ताला तोड़ जेवरात, नकदी ले गए चोर

अधारताल थाना अंतर्गत महाराजपुर में चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर जेवरात एवं नगदी चुराकर ले गए। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार सिहोरा गया हुआ था । पुलिस के मुताबिक सौरभ मिश्रा 29 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी महाराजपुर अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इमलई देवरी पनागर में जूपिटर वैगन लिमिटेड कम्पनी में काम करता है। वह अपने परिवार को लेकर दोपहर लगभग 1-30 बजे कामीसधारा सिहोरा गया था घर पर ताला लगा दिया था, जब घर वापस आकर देखा तो बाहर का गेट का ताला लगा था दरवाजे का ताला टूटा था अंदर सामान फैला हुआ था किचन में रखे डिब्बे के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी 38 हजार रूपये गायब थे।

प्रतिदिन चलेगी पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन

जबलपुर, नवभारत। रेलवे द्वारा आगामी समर पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में मध्य रेल से प्रारंभ टर्मिनेट होने वाली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01449/50 पुणे-दानापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल से होकर अपने गंतब्य को जाएगी। पुणे-दानापुर-पुणे प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01449 पुणे से दानापुर स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 01 से 14 अप्रैल तक एवं समर के अवसर पर 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रतिदिन पुणे स्टेशन से दोपहर 15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी प्रात: 05:40 बजे, जबलपुर सुबह 09:05 बजे, कटनी 10:×0 बजे, सतना दोपहर 12:55 बजे पहुँचकर मार्ग से होते हुए तीसरे दिन 02:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01450 दानापुर से पुणे स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 3 अप्रैल से 16 तक एवं समर के अवसर पर 17 अप्रैल से 17 जुलाई तक प्रतिदिन दानापुर स्टेशन से प्रात: 05:00 बजे प्रस्थान कर सतना 18:10 बजे, कटनी 19:50 बजे, जबलपुर रात 21:35 बजे, पहुँचकर अगले दिन इटारसी 01:20 बजे और सायं 18:15 बजे पुणे स्टेशन पहुँचेगी।

उत्साह के साथ फील्ड पर नजर आया राजस्व अमला : अहिरवार

अधिभार रहित बकाया करों की राशि जमा करने अब मात्र 15 दिन शेष

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम के राजस्व अमले में नई ऊर्जा भरने और वित्तीय वर्ष के अंत तक शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के लिए निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। निगमायुक्त ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब अधिभार रहित कर जमा करने के लिए मात्र 15 दिन शेष हैं, ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी अपने उत्साह को बढ़ाएं और फील्ड पर सक्रियता दिखाएं। बैठक में राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों और करसंग्रहिताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन करदाताओं से संपर्क स्थापित करें। निगमायुक्त ने कहा कि शहर का विकास करदाताओं के सहयोग पर निर्भर है, इसलिए वसूली का प्रतिशत बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। निगमायुक्त ने जिन आवासीय भवनों में कमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनका तत्काल पुन: सर्वे कर व्यावसायिक दर से कर निर्धारण किया जाए।

अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ बरती जाए सख्ती

निगमायुक्त ने अवैध रूप से संचालित हो रहे होटलों, अस्पतालों, कार बाजारों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए तालाबंदी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों तक पूरा अमला सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक केवल वसूली कार्यों पर केंद्रित रहेगा। हर दिन शाम को किए गए कार्यों की समीक्षा की जायेगी, ताकि पारदर्शिता और गति बनी रहे। अब बहानेबाजी का समय समाप्त हो चुका है। निगमायुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिभार की छूट का लाभ उठाते हुए अगले 15 दिनों के भीतर अपने बकाया करों का भुगतान करें। इससे न केवल वे दंड स्वरूप लगने वाली अतिरिक्त राशि से बचेंगे, बल्कि शहर की स्वच्छता और विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे। बैठक में अपर आयुक्त अरविन्द शाह के साथ राजस्व अमला उपस्थित रहा।

नोटिफिकेशन साल में 5 चालान बकाया रहे तो होगी लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई

ई-चालान नहीं भरने पर आरटीओ के काम होंगे बंद

नवभारत,जबलपुर। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब ई-चालान को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब चालान मिलने के बाद निर्धारित समय में उसका निपटारा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा में कार्रवाई नहीं करने पर वाहन से जुड़े कई आरटीओ कार्य प्रभावित हो सकते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) श्रीमती रिंकू शर्मा के अनुसार पुलिस या अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी चालान को फिजिकल माध्यम से 15 दिनों के भीतर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद चालान को पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाएगा। यदि 30 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो चालान को स्वत: स्वीकार मान लिया जाएगा। इसके अलावा 15 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में चालान जमा नहीं करने की स्थिति में आरटीओ द्वारा वाहन से जुड़े किसी भी कार्य जैसे ट्रांसफर, परमिट, फिटनेस या लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किया जाएगा ।आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

45 दिन में दो विकल्प भुगतान या चुनौती

आरटीओ ने बताया कि चालान दर्ज होने के बाद वाहन चालक के पास 45 दिनों के भीतर दो विकल्प होंगे। वह चालान स्वीकार कर उसका भुगतान कर सकता है या फिर पोर्टल अथवा फिजिकल माध्यम से दस्तावेजों के साथ उसे चुनौती दे सकता है। यदि वाहन चालक चालान को चुनौती देता है तो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद चालान को रद्द भी किया जा सकता है या फिर उसे सही मानते हुए अस्वीकार किया जा सकता है।

आधी राशि जमा कर कोर्ट में अपील का विकल्प

यदि आपत्ति खारिज हो जाती है तो वाहन चालक के पास 30 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करने या आधी राशि जमा कर कोर्ट में अपील करने का विकल्प रहेगा।

साल में 5 चालान बकाया रहे तो लाइसेंस रद्द

परिवहन विभाग के अनुसार यदि किसी वाहन चालक के एक वर्ष में 5 या उससे अधिक चालान बनते हैं और उनका भुगतान नहीं किया जाता है तो पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। दोबारा ऐसी स्थिति बनने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी संभव है।

ब्यॉज सहित गेच्युटी का करों भुगतान

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि जब याचिकाकर्ता के विरुद्ध रिकवरी आदेश निरस्त हो चुका था, तो सरकार को उसे भुगतान कर देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को 6 फीसदी ब्याज के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान करें। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है ।जबलपुर निवासी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक सुमन तिवारी की ओर से अधिवक्ता एनके तिवारी एवं गर्वित तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। दिसंबर 2021 में विभाग ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध 3 लाख 23 हजार रुपए की रिकवरी निकाली थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में उक्त रिकवरी आदेश को निरस्त कर दिया था।